न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस

(1) अपील सं0 2020/00058 (58/2020) 75 एलआरएक्ट

कालूराम पुत्र श्री लेखराम जाति जाट निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. सुरजीतसिंह पुत्र श्री गुरबक्शसिंह जाति तरखान निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमागनढ।
2. शेर सिंह उर्फ राजाराम पुत्र श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. अभिषेक बरायच पुत्र श्री छगनाराम जाति जाट निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. छगनाराम पुत्र. श्री उदाराम जाति जाट निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. सूखी देवी पुत्र श्री लेखराम जाति जाट निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ । –रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध आदेश दिनांक 19.03.2020 द्वारा उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ अनवान सुरजीत सिंह बनाम कालूराम प्रकरण संख्या 291/18

श्री देवदत्त भिड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री रमेश कुमार दर्गन अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1

श्री रामकुमार कस्वॉ अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4

श्री रवि गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 5

श्री रविन्द्र भोभिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 6

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:54:00 IST
Reason: SelfAttested

Lavio

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

शेर सिंह उर्फ राजाराम पुत्र श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. कालूराम पुत्र श्री लेखराम जाति जाट निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. सूखी देवी पुत्र श्री लेखराम जाति जाट निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ ।
4. सुरजीतसिंह पुत्र श्री गुरबक्शसिंह जाति तरखान निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमागनढ। –रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध आदेश दिनांक 19.03.2020 द्वारा उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ अनवान शेर सिंह बनाम कालूराम प्रकरण संख्या 17/19

श्री प्रदीप मोहन भाटी अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री रमेश कुमार दर्गन अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4

श्री रविन्द्र भोभिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 7

निर्णय दिनांकः– 10.12.2020

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि सरजीतसिंह रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पात्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया, जिसमें चक 24 एल.एल.डब्ल्यू. बी के पत्थर नम्बर 65/228 के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नं. 8 ता 10 में दक्षिण की और पश्चिम से पूर्व एक गट्ठा चौड़ा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायलाय ने अपने निर्णय दिनांक 26.08.2016 के द्वारा यह प्रार्थना–पत्र [illegible] जिसकी अपील संख्या 204/2016 राजस्व अपील अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष हुई, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 27.03.2016 के द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड किया, इस रिमाण्ड आदेश की निगरानी संख्या 1977/2016 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में हुई जो खारिज करते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश को यथावत रखा गया। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanwar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:54:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

Scanned with CamScanner

में पुनः दर्ज हुआ एवं इस बीच अप्रार्थी शेरसिंह ने एक अन्य प्रार्थना–पत्र 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसमें चक 27 एलएलडब्ल्यू बी के प. नं. 65/228 के ुरब्बा नं0 46 के किला नं. 21, 22, 23 में दक्षिणी और पूर्व से पश्चिमी की तरफ प्रत्येक किला में एक एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। यह प्रार्थना–पत्र 17/2019 एवं पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 291/2018 के साथ संलग्न करते हुए विचारण न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.03.2020 के क्षरा प्रार्थी शेर सिंह का प्रार्थना–पत्र क्रमांक 17/2019 खारिज किया एवं प्रार्थी सरजीत सिंह का प्रार्थना–पत्र 291/2018 को स्वीकार करते हुए चक नं. 24 एल.एल. डब्ल्यू बी के पत्थर नम्बर 65/228 के मुरब्बा नं. 46 के किला नं. 1 ता 3 में पत्थर लाईन पर प्रत्येक किला में एक एक बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत करने का आदेश पारित किया जिससे व्यथित होकर उपरोक्त दोनों अपीलाण्ट ने यह दो अलग अलग अपीलें प्रस्तुत की हैं। दोनों अपीलों में समान पक्षकार एवं विषयवस्तु होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावे।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. दोनों अपीलों के अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्तगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने चक 24 एल.एल.डब्ल्यू. बी के खाता संख्या 99/86 प. नं. 65/228 मु0 नं0 46 किला नं. 4 ता 7, 15 ता 17, 24, 25 की 2.277 है0 कुल 9 बीघा भूमि में जाने हेतु कोई रास्ता न होना मानकर चक 24 एलएलडब्ल्यू प. नं. 65/228 मु0 नं0 46 किला नं. 1–2–3 में एक एक गट्ठा रास्ता स्वीकृत किया है। उक्त 2.277 है0 भूमि सुरजीतसिंह एवं शेर सिंह की संयुक्त खाता में दर्ज है, जिसमें सरजीत सिह का 1/3 हिस्सा व शेष भूमि रेस्पो0 शेर सिंह की है। संयुक्त खाता की भूमि में प्रत्येक सहकाश्तकार का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा माना जाता है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हनुमानगढ उक्त संयुक्त खाता की भूमि में जाने हेतु अपीलाण्ट की कृषि भूमि का किला नं. 21–22–23 में मौका पर रास्ता चालू होना व उक्त रास्ता से शेर सिह की भूमि में आना जाना बताया है। जब संयुक्त खाता की भूमि में आवागमन हेतु रास्ता है तो नया रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। सरजीत सिंह ने संयुक्त खाता की भूमि में अपना 1/3 हिस्सा होने के हिसाब से अनुसार किला नं. 4, 5 व 7 की तीन बीघा भूमि पर अपना कब्जा होना बताया है जबकि संयुक्त खाता की भूमि का विभाजन होने से पूर्व कोई भी सहखातेदार किसी विशिष्ट किलो पर अपना कब्जा होना नहीं कह सकता है। विचारण न्यायालय ने रेस्पो0 सुरजीत सिह का कब्जा किला

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:54:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

नं. 4–5–7 पर होने का कथन किया है, जो विधि के आज्ञापक सिद्धान्तों के विपरीत है। किला नं. 1 ता 5 में खाला स्वीकृत है यदि अपीलाधीन निर्णय से रास्ता किला नं. 1–2–3 में खाला के साथ साथ चालू किया जात है तो अपीलाण्ट व अन्य काश्तकारों की सिंचाई सुविधा बन्द हो जायेगी।

4. शेर सिह द्वारा प्रस्तुत रास्ता प्रकरण संख्या 17/19 केवल इस आधार पर खारिज किया है कि उक्त प्रकरण निराधार तथ्यों पर प्रस्तुत किया है जबकि रेस्पोडेण्ट शेर सिंह का संयुक्त खाता की भूमि 2.277 है0 में 1.518 है0 हिस्सा है व संयुक्त खाता की भूमि में जाने हेतू किला नं. 21–22–23 में रास्ता स्वीकत करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया है। दोनों अपीलाण्ट भी उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाने में सहमत हैं। तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाई गई थी। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 459 दिनांक 18.02.2019 में अपीलाण्ट द्वारा चाहा गया रास्ता मौका पर चालू होना व उक्त रास्ता उचित व सुविधाजनक होने की रिपोर्ट दी गई थी। जिसपर विचारण न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। मुरब्बा के सभी काश्तकारों के लिए रास्ता की आवश्यकता को देखकर ही रास्ता स्वीकृत किया जाना चाहिए। अपीलाधीन आदेश के द्वारा स्वीकृत किये गये रास्ता से मुरब्बे के सभी काश्तकारों को रास्ता की सुविधा नहीं मिलेगी इसलिए अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

5. धारा 251ए आरटीएक्ट के तहत केवल मात्र काश्तकाकर को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ता स्विकृत किया जा सकता है। किसी काश्तकार की सुविधा हेतू रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 6 ने रास्ता स्वीकृत करवाने में अपनी सहमति दी है जिसमें सभी काश्तकार अपनी भूमि में आ जा सकते हैं परन्तु न्यायालय ने उक्त सहमति पत्र पर बिना कोई विवेचन किये मनमाने रूप से निर्णय पारित किया है। कोरोना महामारी के कारण न्यायिक कार्य बंद कर दिये गये थे इस कारण अपीलाण्ट पूर्व में नकल प्राप्त करके अपील प्रस्तुत नहीं कर सके। अतः डिले कन्डोन की जावे तथा दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2015 पेज 368, आरआरटी 2016–17 पेज 677 आरआरटी 2016 (1) पेज 649, आरआरटी 2017 (1) पेज 423, आरआरटी 20[illegible] (1) पेज 403, आरआरटी 2016 (II) पेज 1281 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:54:00 IST
Reason: SelfAttested

6. रेस्पोडेण्ट सरजीत सिह के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि सरजीतसिंह रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पात्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया, जिसमें चक 24 एल.एल.डब्ल्यू. बी के

राजस्व अपील प्राधिक...
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पत्थर नम्बर 65/228 के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नं. 8 ता 10 में दक्षिण की और पश्चिम से पूर्व एक गट्ठा चौड़ा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.08.2016 के द्वारा यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिसकी अपील संख्या 204/2016 राजस्व अपील अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष हुई, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 27.03.2016 के द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड किया, इस रिमाण्ड आदेश की निगरानी संख्या 1977/2016 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में हुई जो खारिज करते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश को यथावत रखा गया। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में पुनः दर्ज हुआ एवं इस बीच अप्रार्थी शेरसिंह ने एक अन्य प्रार्थना–पत्र 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसमें चक 27 एलएलडब्ल्यू बी के प. नं. 65/228 के ुरब्बा नं0 46 के किला नं. 21, 22, 23 में दक्षिणी और पूर्व से पश्चिमी की तरफ प्रत्येक किला में एक एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। यह प्रार्थना–पत्र 17/2019 एवं पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 291/2018 के साथ संलग्न करते हुए विचारण न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.03.2020 के क्षरा प्रार्थी शेर सिंह का प्रार्थना–पत्र क्रमांक 17/2019 खारिज किया एवं प्रार्थी सरजीत सिंह का प्रार्थना–पत्र 291/2018 को स्वीकार करते हुए चक नं. 24 एल.एल.डब्ल्यू. बी के पत्थर नम्बर 65/228 के मुरब्बा नं. 46 के किला नं. 1 ता 3 में पत्थर लाईन पर प्रत्येक किला में एक एक बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत करने का आदेश पारित किया। रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट देखकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने विलम्ब से अपील प्रस्तुत की हैं अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

7. शेष रेस्पोडेण्टान ने अपील स्वीकार करने का कथन किया।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

9. धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार कौराना महामारी के कारण कोर्ट कार्य बन्द रहने के कारण अपीलाण्ट समय पर अपील प्रस्तुत करने पर असमर्थ रहे। इसलिए अपीलाण्ट का धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

10. अधनीस्थ न्यायायल ने सरजीतसिंह [illegible] चक 24 एल.एल.डब्ल्यू. बी के पत्थर नम्बर 65/228 के मुरब्बा नं. 46 के किला नं. 8 ता 10 में दक्षिण की और पश्चिम से पूर्व एक [illegible] रास्ता स्वीकृत किया। अधीनस्थ न्यायलाय ने अपने निर्णय दिनांक 26.08.2016 के द्वारा यह प्रार्थना–पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:54:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

Scanned with CamScanner

स्वीकार किया जिसकी अपील संख्या 204/2016 राजस्व अपील अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष हुई, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 27.03.2016 के द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड किया, इस रिमाण्ड आदेश की निगरानी संख्या 1977/2016 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में हुई जो खारिज करते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश को यथावत रखा गया। रिमाण्ड आदेश में यह आदेश दिया गया था कि प0 नं0 65/228 मुरब्बा नम्बर 46 के किला नं. 1, 2, 3 एवं किला नम्बर 21, 22, 23 का मौका निरीक्षण करके पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में पुनः दर्ज हुआ एवं इस बीच अप्रार्थी शेरसिंह ने एक अन्य प्रार्थना–पत्र 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसमें चक 27 एलएलडब्ल्यू बी के प. नं. 65/228 के मुरब्बा नं0 46 के किला नं. 21, 22, 23 में दक्षिणी और पूर्व से पश्चिमी की तरफ प्रत्येक किला में एक एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। यह प्रार्थना–पत्र 17/2019 एवं पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 291/2018 के साथ संलग्न करते हुए विचारण न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.03.2020 के द्वारा प्रार्थी शेर सिंह का प्रार्थना–पत्र क्रमांक 17/2019 खारिज किया एवं प्रार्थी सरजीत सिंह का प्रार्थना–पत्र 291/2018 को स्वीकार करते हुए चक नं. 24 एल.एल. डब्ल्यू. बी के पत्थर नम्बर 65/228 के मुरब्बा नं. 46 के किला नं. 1 ता 3 में पत्थर लाईन पर प्रत्येक किला में एक एक बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत करने का आदेश पारित किया है।

11. अपीलाण्ट का कथन है प. नं. 35/228 मु0 नं0 46 किला नं. 21–22–23 में रास्ता मौका पर चालू होना रिपोर्ट तहसीलदार से साबित है व उक्त चालू रास्ता को स्वीकृत करवाने में अपीलाण्ट सहमत है और उक्त चालू रास्ता से रेस्पोडेण्ट सुरजीत सिंह व अपीलाण्ट शेर सिंह दोनों अपनी संयुक्त खाता की भूमि में पहुंच सकते हैं। तहसीलदार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर कोई गौर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में रास्ते के मौका निरीक्षण अनुसार सुरजीतसिंह द्वारा रास्ते की मांग उचित की गई है। मु0 नं0 46 के किला नं 1, 2, 3, 4, 5 में मौका पर पूर्व से पश्चिम खाला स्वीकृत होने का तथ्य सामने आया है। ऐसी स्थिति में [illegible] स्वीकृत करने से पूर्व उभयपक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट ली [illegible] है। अतः उक्त दोनों अपीलें आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण विचारण न्या[illegible] को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है। [illegible] किला नं0 1–2–3 की मौका रिपोर्ट लेकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:54:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

12. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर दोनों अपीलें आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2019 खारिज किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि चक नं. 24 एलएलडब्ल्यू बी प. नं. 65/228 मु0 नं0 46 किला नं. 1–2–3 की मौका रिपोर्ट लेकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30-12-2020 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

13. निर्णय आज दिनांक 10.12.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

10/12/20

(करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:54:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner